न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्री समदर सिंह भाटी आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 190/2020

1. परमेश्वर पुत्र भैरू जाति ढोली निवासी पिचोलिया तहसील पीसांगन जिला अजमेर ..प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार पीसागंन ......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,131 सपठित धारा 136 रा0 भू0 रा0 अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री शिवचरण शर्मा – अभिभाषक प्रार्थी

–: निर्णय :– दिनांक 16.03.2021

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 , 131 सपठित धारा 136 भू0 रा0 अधिनियम 1956 का अप्रार्थीगण के विरूद्व इस तथ्य के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम पिचोलिया तहसील पीसागंन वर्किंग जमाबदीं सवंत 2041 से 2041 के खसरा सख्या 1448 रकबा 10–15–10 बीघा भूमि प्रार्थी के पिता भैरू वल्द सुखा जी की खातेदारी की रही है। जिसमें सवंत 1971–72 में बिना तरमीम के नक्शा एक ही था। परन्तु आधार सवंत 1980–81 का नक्शा ट्रेस कायम करते समय प्रार्थी की भूमि के कायम हुए नवीन खसरा सख्या 1819 का क्षैत्रफल बड़ा कर दिया एंव खसरा सख्या 1820 का छोटा कर दिया । जिसे दुरूस्त फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थी को सम्मन जारी किया गया । राजहित प्रभावित नहीं होने से सरकार पेरोकार का जवाब बंद किया जाता है । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय होने से स्वीकार किया जाता है। **तहसीलदार पीसागंन को आदेश दिये जाते हैं कि वह ग्राम पिचोलिया के आधार जमाबदीं सवंत 1980–81 के नक्शा ट्रेस में कायम तरमीम को दुरूस्त करते हुए नवीन खसरा सख्या 1819 रकबा 0.69 है0 तथा खसरा संख्या 1820 रकबा 1.05 है0 का जमाबदीं अनुसार भौतिक क्षैत्रफल एंव पेमाना अनुसार दुरूस्ती की जावे।**

निर्णय आज दिनांक 16.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर
पीसागंन

उपखण्ड अधिकारी
पीसांगन (अजमेर)
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर पीसागंन
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी — श्री समदर सिंह भाटी आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या — 190 / 2020

1. परमेश्वर पुत्र भैरू जाति ढोली निवासी
   पिचोलिया तहसील पीसागंन जिला अजमेर

..प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार पीसागंन

......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,131 सपठित धारा 136 रा0 भू0 रा0 अधिनियम 1956

उपस्थित :— श्री शिवचरण शर्मा — अभिभाषक प्रार्थी

—: डिक्री :— दिनांक 16.03.2021

श्री समदरसिंह भाटी उपखण्ड अधिकारी पीसागंन व श्री शिवचरण शर्मा वादी मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रार्थना पत्र इस प्रकार स्वीकार किया जाता है **तहसीलदार पीसागंन को आदेश दिये जाते हैं कि वह ग्राम पिचोलिया के आधार जमाबदीं सवंत 1980—81 के नक्शा ट्रेस में कायम तरमीम को दुरूस्त करते हुए नवीन खसरा सख्या 1819 रकबा 0.69 है0 तथा खसरा संख्या 1820 रकबा 1.05 है0 का जमाबदीं अनुसार भौतिक क्षैत्रफल एंव पेमाना अनुसार दुरूस्ती की जावे।**

वदखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 16.03.2021 को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अर्जी दावा	स्टाम्प अर्जी
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	फीस कमिश्नर
फीस कमिश्नर	खर्चा गवाहान
खर्चा गवाहान	बाबत इजराय हुकमनामा
बाबत इजराय हुकमनामा	बाबत इजराय हुकमनामा
तफरीस	मुतफरीस
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर
पीसागंन

उपखण्ड अधिकारी पीसांगन (अजमेर)